


13/4/18

पत्रावली पैसा हुई। गैर साधल अधिकता अनुपातित। नीन कार आवाण लगाई गई लेकिन कोई उपातित नही हुआ। प्रतिक्रमी के 25/2/18 के नोटि-नामित हुआ इसके पश्चात अनेक बार जवाब/साश्च प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया लेकिन प्रतिक्रमी अथवा अधिकता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि गैर साधल इस संदर्भ में कुछ भी कहना नही चाहते। एवं किसी प्रकार का साश्च (न्यायसंगत) भी नही है। अतः गैर साधल को अति कमी चेषित किया जाता है। मिणर्थ आपग से लिखा जाकर प्रस्तुत है। मिणर्थ खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली पैसल सुभार होकर नंबर से कम है।

  
**नाथन तहसीलदार सिणधरी**

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. ...2... पर क्र.सं. ...4... पर जर्माना/क्यास निलामी राशि रु. 250 + 1390 की मांग दर्ज की गई।  
1630  
 13/2/18  
 तहसील राजस्व लेखाकार  
 तहसील सिणधरी

(देखिये नियम 3)

नोटिस

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी

प्रकरण सं० 39/2018

संवत् 2073

सन 2016

राज्य सरकार बजरिये पटवारी

बनाम

~~इकलराम वल्द हीरराम कलशी~~  
शा. गोलिया जीवराज

पटवारी हल्का

गोलिया जीवराज


मौजा गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 13 किरम भूमि 21-09 बीघा में से 03-00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 05/03/2018 से पूर्व भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या लीडर द्वारा दिनांक 05/03/2018 को 10.30 बजे पूर्वान्ह अदालत हाजा में हाजिर हों तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों नहीं किया जावे। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त प्रकार विधि विरुद्ध किये गये अतिक्रमण के लिये विधि सम्मत शास्ति क्यों न अधिरोपण की जावे। आपसे यह दर्शित करने के आपको तीन माह तक की अवधि के लिये क्यों नहीं सिविल कारावास सुपुर्द <sup>दिया</sup> जावे वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति सदमय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रहे कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में निश्चित किया जावेगा।

आज दिनांक 10/02/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



  
नायब तहसीलदार सिणधरी